

R-1533-I/07



- 01-लक्ष्मीकान्त
- 02-नन्दलाल
- 03-राजीवलोचन
- 04-शोतेलाल
- 05-लोकेश्वराम पिता उमादत्त
- 06- सुवरनिया बेवा जमुना राम ब्राठो
- 07- सावित्री देवी पत्नी लक्ष्मीकान्त
- 08- तेलसी पत्नी नन्दलाल

-पितरान कमलेश्वर प्रसाद

क्रमांक 2678
 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्राप्त
 दिनांक 29/07/07 को प्राप्त
 बलक ऑफ कोर्ट
 राजस्व मण्डल म.प्र. बवालिखर

13845
 9-07
 13845

29/8/07
 17-19-34810

अधीक्षक
 न्यायालय
 नारायणपुर
 रीवा (म.प्र.)

सभी निवासीगण ग्राम सोनौरी, तहसील त्योंथर, जिला
 रीवा, म०प्र०.

बनाम्

- 01- जय कृष्ण उपाध्याय
 - 02- जयदेव उपाध्याय
- दोनों निवासी ग्राम सोनौरी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा,
 म०प्र०।

-पितरान मधुसूदन प्रसाद ब्राठो

अना०गण/अमी०गण.

निगरानी विले आदेश अमर आयुक्त रीवा
 संभाग रीवा दिनांक 19.06.2007 जो अमील प्रक०
 क्र० 677/अमील/2000-2001 मे पारित किया
 गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०स०1959

निरंतर...

R-1532-2107 2107

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/16	<p>आवेदक आशुतोष श्री - मुकेशभागतो. उपाय उल्लेखित अपनाने के लिये उपाय है कि इसमें आवेदक के हस्तक्षेप व्यवस्थित है, जहाँ उल्लेखित हस्तक्षेप नहीं है। आवेदक के हस्तक्षेप उल्लेखित नकली प्रमाण प्रमाण है जो उल्लेखित उल्लेखित FIR दर्ज कराने परीक्षा में अटकलें प्रमाण है कि हस्तक्षेप नकली प्रमाण उपाय उपाय पर समाप्त किया जाता है तथा उपाय न्यायालय को सारे सच को प्रमाण समाप्त कर दिया है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	<p>[Signature]</p>